

लखनऊ - ५१५

उत्तर प्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3
संख्या-136/60-3-11-11(2रिट)/08टीसी
लखनऊ: दिनांक: ०१ फरवरी, 2011

1800/6,
02/02/11

कार्यालय-ज्ञाप

रिट याचिका (सिविल) संख्या-659/07 इन्वायर्मेन्ट एण्ड कन्ज्यूमर पिटीशन फाउण्डेशन भारत संघ व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा वृन्दावन जनपद मथुरा में निवास कर रही विधवाओं के सम्बन्ध में अध्ययन रिपोर्ट (2009-10) प्रस्तुत की गयी। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रस्तुत अध्ययन रिपोर्ट में संस्तुति की गयी है कि वृन्दावन में निवास कर रही अधिकांश विधवा महिलायें अशिक्षित हैं जिसके कारण वह पेंशन का फार्म भरने, बैंक में खाता खुलवाने, बैंक से पैसा निकालने तथा बैंक पासबुक को अद्यावधिक करवाये जाने में कठिनाई अनुभव करती है। अतः वृन्दावन/गृहों में निवास कर रही अशिक्षित एवं अति वृद्ध महिलाओं को इन कार्यों में आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों की संयुक्त समिति गठित की जाती है :-

- 1- जिला प्रोबेशन अधिकारी, मथुरा।
 - 2- जिला समाज कल्याण अधिकारी, मथुरा।
- उक्त समिति इन महिलाओं को दी जाने वाली पेंशन के लाभार्थियों का सत्यापन, नए लाभार्थियों को पेंशन स्वीकृत करना, उनके बैंक एकाउन्ट खुलवाने के साथ-साथ उनकी सभी समस्याओं के निराकरण हेतु आवश्यक कदम उठाएगी।

D.D./G.M. (MKN)

बलविन्दर कुमार
प्रमुख सचिव

2/2/2011

3/2/2011

13.02.11

5/2/11
23/102

- संख्या-136(1)/60-3-11-11, तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- जिलाधिकारी, मथुरा
 - 2- निदेशक, महिला कल्याण, उ०प्र०।
 - 3- निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र०।
 - 4- संयुक्त निदेशक, महिला कल्याण, वृन्दावन-मथुरा।
 - 5- जिला प्रोबेशन अधिकारी, मथुरा।
 - 6- जिला समाज कल्याण अधिकारी, मथुरा।
 - 7- गार्ड फाइल।

श्री कनाराम
2/2/11

आज्ञा से,
1.2.2011
(डा० प्रभा मिश्रा)
उप सचिव

176/332
04/2/11